

ऑनलाइन प्रवेश हेतु निर्देश

1. ऑनलाइन पंजीयन फार्म भरते समय प्रवेश निर्देशिका 2021-22 के सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
2. यदि आप नियमित सरकारी कर्मचारी हैं तो अपनी सर्विस कैटेगरी तथा स्थानान्तरण विवरण ध्यान से भरें।
3. केन्द्रीय विद्यालय क्र.1 के प्रथम पारी एवं द्वितीय पारी को अलग-अलग विद्यालय के रूप में मानते हुए विद्यालय प्राथमिकता दर्ज करें।
4. आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के अंतर्गत आवेदन करने वाले ध्यान दें—
 - क. केविसं के प्रवेश निर्देशिका 2021-22 के अनुसार विद्यालय से आवास की दूरी 5 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस दूरी की जाँच प्रवेश समिति द्वारा की जाती है।
 - ख. आरटीई के अंतर्गत जिस श्रेणी (एससी/एसटी/इडब्ल्यूएस आदि) में पंजीयन किया जा रहा है, उसका पंजीयन पूर्व दस्तावेज/प्रमाणपत्र होना जरूरी है।
 - ग. राशन कार्ड धारक के पास अन्त्योदय कार्ड/लेबरकार्ड/इडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र होने पर ही उसकी पात्रता मान्य होगी।

5. प्रथम पारी या द्वितीय पारी में प्रवेश प्रक्रिया हो जाने पर पारी परिवर्तन संभव नहीं है अतः चयन सूची अनुसार प्रथम/द्वितीय पारी सुनिश्चित करके ही प्रवेश लेवें।
6. जन्म प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि निर्धारित समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सके।

विस्तृत जानकारी के लिए केविसं प्रवेश निर्देशिका 2021–22 का अवलोकनकरें—

<https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in>